

## न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 01 / बी-121 / 2015-16

: आदेश :

आज दिनांक 05 अक्टूबर 2015 को पारित किया गया )

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से तहसीलदार जोबट का जॉच प्रतिवेदन मय प्रकरण प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 17.7.2015 को केरमसिंह पिता जामसिंह भीलाला निवासी पाटबर्डी तहसील जोबट की कृषि कार्य (कपास की फसल में सिंचाई करने के दौरान विद्युत करंट लगने से ) मृत्यु हो गई है। मृतक के वारिशान में उसकी पत्नि कना पति स्व. केरमसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम पाटबर्डी तहसील जोबट को आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000-00/- (एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर मृत्यु प्रमाण पत्र, पी. एम. रिपोर्ट के आधार पर मृतक के वारिशान में उसकी कना पति स्व. केरमसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम पाटबर्डी तहसील जोबट को माननीय मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अन्तर्गत आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000-00/- (एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाते हैं। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम 2000, नियम- 7 एवं संशोधित आदेश क्रमांक /बोर्ड/योजना/गै.त./मृ.कृ.जी.क.यो./2171/भोपाल दिनांक 06.9.2012 के विहित प्रावधानों अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000-00/- (एक लाख रुपये मात्र) आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अनुदान राशि आहरण कर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरण की जावे।

S/d -  
(शेखर वर्मा)  
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर दिनांक.....5/10/2015

पृ0क/ 909/रीडर/2015

प्रतिलिपि:- (आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ)

- 1- सहायक संचालक ऑचलिक कार्यालय कृषि विपणन बोर्ड, इंदौर की ओर सूचनार्थ।
- 2- प्रभारी अधिकारी (वित्त-2/राहत शाखा जिला अलीराजपुर।
- 3- जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर।
- 4- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला अलीराजपुर।
- 5- सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट।
- 7- तहसीलदार जोबट।
- 8- सचिव, कृषि उपज मंडी जोबट।
- 9- संबंधित (आवेदक) श्रीमति कना पति स्व. केरमसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम पाटबर्डी तहसील जोबट की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर